निगरानी / टी.ए. / 2896 / 2005 / जिला चितौड़गढ़
भूरी बनाम मांगीबाई

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
24.12.25	**एकल–पीठ** **श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य** **उपस्थित :** श्री केके पुरोहित, अभिभाषक प्रार्थीगण। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित। **आदेश** 1. हस्तगत् निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा–230 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बड़ी सादड़ी द्वारा प्रकरण संख्या 110/2001में पारित आदेश दिनांक 22–02–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। 2. निगरानी प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने एक राजस्व वाद बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत विवादित आराजी बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बड़ी सादड़ी के समक्ष प्रस्तुत किया। दौराने साक्ष्य प्रार्थीगण ने एग्रीमेंट टू सेल व विक्रय पत्र को एक्जीबिट मार्क डालना चाहा तो वकील वादी द्वारा एतराज जाहिर करने(अनरजिस्टर्ड दस्तावेज पर प्रदर्श नहीं डाला जा सकता) पर विचारण न्यायालय ने वकील वादी के एतराज को स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर हस्तगत निगरानी माननीय मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। 3. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस निगरानी पर सुनी गयी। 4. विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने निगरानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में अभिकथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्याय, नियम एवं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दु पर ध्यान नहीं दिया कि अनरजिस्टर्ड दस्तावेज को कोलेटरल परपज हेतु उपयोग में लाया जा सकता है। प्रार्थीगण ने अपने जवाब दावे में यह मुख्य आधार लिया है कि भूमि आराजी मुतनाजा खसरा संख्या 1235/2 व 543 स्वगीर्य हीरा ने प्रार्थीगण को विक्रय व जरिये एग्रीमेन्ट टू सेल के हस्तांतरित की थी। तब से प्रार्थीगण का उस पर कब्जा है और धारा 63(4) टीनेन्सी एक्ट के तहत व कब्जा मुखालपाने के आधार पर खातेदार हो गये है। इसलिए प्रार्थीगण अपने कब्जे को साबित करने के लिए	

उक्त अनरजिस्टर्ड दस्तावेज को कोलेटरल साक्ष्य के रूप में प्रयोग करने के अधिकारी है। अन्त में उन्होनें प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर आक्षेपित आदेश को निरस्त करने का निवेदन किया है।

5. विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया गया।

6. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने एक राजस्व वाद बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत विवादित आराजी बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बड़ी सादड़ी के समक्ष प्रस्तुत किया। दौराने साक्ष्य प्रार्थीगण ने एग्रीमेंट टू सेल व विक्रय पत्र को एक्जीबिट मार्क डालना चाहा तो वकील वादी द्वारा एतराज जाहिर करने(अनरजिस्टर्ड दस्तावेज पर प्रदर्श नहीं डाला जा सकता) पर विचारण न्यायालय ने वकील वादी के एतराज को स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर हस्तगत निगरानी माननीय मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आलोच्य आदेश द्वारा अनरजिस्टर्ड दस्तावेज को साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होना मानते हुए, वादी के अधिवक्ता का एतराज कि अनरजिस्टर्ड दस्तावेज पर प्रदर्श नहीं डाला जा सकता, स्वीकार किया है। यह सुस्थापित विधिक स्थिति है कि अपंजीकृत दस्तावेज साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है।

7. अतः अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित आदेश में विधिक या तथ्य संबंधी कोई तात्विक त्रुटि कारित नहीं की गई है। हस्तगत निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है, जिसके अनुसार निगरानी का क्षेत्र अत्यन्त सीमित है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश में विधि अथवा तथ्य सम्बन्धी ऐसी कोई तात्विक त्रुटि कारित नहीं की गई है जिसके आधार पर निगरानी के माध्यम से आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप किया जा सके। अतः हस्तगत निगरानी सारहीन होने से खारिज योग्य है।

8. परिणामतः हस्तगत निगरानी खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नबंर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। तहत का अभिलेख मय आदेश प्रति अविलम्ब लौटाया जावें।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मदन लाल नेहरा)

सदस्य